पटना शहरी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या के निदान एवं भविष्य के लिए संभावित कार्य योजना पर विचार विमर्श हेतु माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक– 04.09.2017 को आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– संलग्न।

बैठक में नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा दिनांक– 16.09.2017 को माननीय मंत्री की अध्यक्षता में इस विषय पर आयोजित बैठक में दिये गये निदेशों का अनुपालन प्रतिवेदन, प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दिया गया। इसमें जल निकासी के पश्चात् सड़कों एवं गलियों की तस्वीर भी प्रदर्शित की गई। दिये गये निदेश के आलोक में पटना नगर निगम द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई एवं आवश्यकतानुसार पम्प एवं मोटर लगाकर जल–जमाव से ग्रसित अधिकांश स्थलों से दो दिनों में जल निकासी करा दी गई। नगर आयुक्त के द्वारा बताया गया कि कुछ क्षेत्रों में जे०सी०बी० मशीन के द्वारा कच्चा नाला काटकर जल निकासी करायी गई। कुछ स्थानों पर राबिश भर कर आम रास्तों को दुरूस्त किया गया है। कुछ जगहों से जल निकासी की कार्रवाई पूरी तरह से नहीं हुई क्योंकि वहाँ Infrastructure संबंधित समस्याएँ हैं।

2. बैठक में उपस्थित पटना शहर क्षेत्र के माननीय विधायक एवं विधान पार्षद द्वारा बारी–बारी से अपना पक्ष रखा गया एवं सुझाव दिये गये।

सर्वप्रथम पटना साहिब क्षेत्र के माननीय विधायक–सह–माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया पहले मंगल तालाब का पानी सिटी स्कूल के पीछे से निकल जाता था। प्रकाश पर्व के दौरान पथ निर्माण विभाग द्वारा नाला निर्माण कराया गया, उसका Level सही नहीं है। गुरू गोविन्द सिंह पथ के बाई ओर और गहरा करना होगा। साथ ही नगर निगम द्वारा ठीक से उड़ाही नहीं की गई। निदेश दिया गया कि दिनांक– 06.09.2017 को 10:30 बजे पथ निर्माण विभाग के संबंधित अभियंता एवं नगर निगम के पदाधिकारी स्थल निरीक्षण कर मापी करें एवं Level की जाँच करें, उसे ठीक करायें तथा Culvert निर्माण का भी कार्य कराएँ। इस निरीक्षण में माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के प्रतिनिधि, कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल, माननीय महापौर भी रहेंगे। छटंकी पुल को भी देख लिया जाय तथा आवश्यकतानुसार सुधार हेतु कार्रवाई किया जाय। यह दल उसी दिन वार्ड– 58 में मलियाबाद का भी निरीक्षण करेगा।

संबंधित कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया कि विकास कॉलोनी, परशुराम कॉलोनी, आदिवासी कॉलोनी में पानी निकाल दिया गया है, परन्तु स्थायी नाला नहीं रहने से पुनः जल जमाव हो सकता है। इसमें कुछ दूर तक नाला बना है। 1600–1700 मीटर का और नाला बनाना होगा।

निदेश दिया गया कि जाँच कर प्राक्कलन तैयार किया जाय। धर्मशाला रोड एवं बनसवारी रोड, वार्ड– 72 में कच्चा है परन्तु नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना में नहीं लिया जा सका है। दो दिन में इसका प्राक्कलन तैयार कर दिया जायेगा।

3. माननीय विधायक कुम्हरार द्वारा बताया गया कि वार्ड नं०– 31 में सब्जी मंडी, पोस्टल पार्क, संजय नगर, इंदिरा नगर क्षेत्र में अभी भी पानी लगता है। नाला का दुबारा उड़ाही किया जाय। बताया गया कि इस क्षेत्र में जो Box नाला है, उसमें Opening नहीं रहने से उड़ाही में कठिनाई हो रही है।

निदेश दिया गया कि 20 फीट पर Box नाला के Cover को तोड़कर कैचपिट बनाया जाय एवं उसके माध्यम से उड़ाही करायी जाय।

4. न्यू बाईपास के दक्षिण के मुहल्लों में जल–जमाव की सबसे अधिक शिकायतें आती हैं। इन क्षेत्रों में जल–जमाव को दूर करने हेतु कोई स्थायी प्रबंध नहीं है। इन क्षेत्रों का जल बादशाही नाला से ही निकल सकता है। बादशाही नाला, जिसका Outfall अभी पुनपुन नदी में है, बरसात में पुनपुन का जल स्तर बढ़ने पर Back flow होता है तथा और अधिक पानी इन क्षेत्रों में फेल जाता है अतिक्रमण होने के कारण पूर्ण रूप से उड़ाही नहीं हो पाती है।

5. बेऊर से मीठापुर एवं करविगहिया से मीठापुर के बीच प्रस्तावित नाला बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा AMRUT योजना के तहत् निर्माण कराया जायेगा। प्रस्तावित Alignment एवं सम्प हाउस से स्थल निरीक्षण हेतु बिहार राज्य जल पर्षद के मुख्य अभियंता, कार्यपालक अभियंता, नगर निगम के संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी माननीय विधायक, बाँकीपुर के साथ दिनांक– 06.09.2017 को 11:00 बजे स्थल पर चर्चा करेंगे तथा वस्तुस्थिति से माननीय विधायक बाँकीपुर को अवगत करायेंगे।

6. कंकड़बाग एवं नूतन राजधानी अंचल में कई जगह मेनहोल के रास्ते बिजली का केबल गया है। इससे नालों की सफाई बाधित होती है। बिजली विभाग के प्रतिनिधि को निदेश दिया गया कि अविलम्ब वैकल्पिक व्यवस्था करें।

7. करबिगहिया फ्लाई ओवर से उतरकर मीठापुर की ओर जाने वाले रास्ते पर नाला जाम होने से भीषण जल–जमाव रहता है।

पथ निर्माण विभाग के प्रतिनिधि को निदेश दिया गया कि अविलम्ब इसे देखकर दुरूस्त किया जाय।

8. आगामी बैठकों में डूडा, पटना के कार्यपालक अभियंताओं को भी आमंत्रित करने का निदेश दिया गया।

9. माननीय मंत्री द्वारा सभी समस्याओं पर विचार के उपरांत निम्नांकित निदेश दिये गये :–

(क) पूरे पटना शहर से जल निकासी हेतु बुडको एक मास्टर प्लान तैयार करें। इसमें पटना नगर निगम का सहयोग लें। यह कार्य दो माह में पूर्ण कर लिया जाय।

(ख) यह ध्यान रखा जाय कि नालों के पानी का उपयोग सिंचाई कार्य में करना है।

(ग) बाकरगंज नाला का DPR बुडको तैयार करें।

(घ) संदलपुर, रामपुर, बाजार समिति, कुम्हरार, राजवंशीनगर, पुनाईचक एवं गोसाई टोला सम्प के क्षमता वृद्धि का प्रस्ताव तैयार कर BRJP विभाग को उपलब्ध कराए।

(ड़) सिटी मोट नाले का जीर्णोद्धार कराया जाय।

(च) जो कार्य नगर निगम अपने संसाधनों से कर सकता है वो कार्य स्वयं कराए। जिन मामलों में राज्य सरकार से निधि की विशेष आवश्यकता हो उसका प्रस्ताव ही विभाग को भेजे।

(छ) बादशाही नाले को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की जाय।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

विश्वासभाजन,

12/9/2017

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/बैठक०–04–01/2017 6169 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–13.9.17

प्रतिलिपिः– मानीनय मंत्री, पथ निर्माण विभाग–सह–सदस्य, बिहार विधान सभा, पटना साहिब के आप्त सचिव/श्री अरूण कुमार सिन्हा, माननीय स०वि०स०, कुम्हरार विधान सभा क्षेत्र/श्री नितिन नवीन, माननीय स०वि०स०, बाँकीपुर विधान सभा क्षेत्र/श्री संजीव चौरसिया, माननीय स०वि०स०, दीघा विधान सभा क्षेत्र/माननीय महापौर एवं माननीय उप महापौर, पटना नगर निगम को सूचनार्थ प्रेषित

12/9/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/बैठक०–04–01/2017 6169 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–13.9.17

प्रतिलिपिः– नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/सभी विभागीय पदाधिकारी/मुख्य अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी– 02, 03 एवं 04/आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

12/9/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/बैठक०–04–01/2017 6169 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–13.9.17

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

12/9/2017

सरकार के प्रधान सचिव।